B.A Part II
12/05/2020

Methaphysical Ethics

Dr. Anita Kr. Gupta
J.K. College Biraul.

"Standard of Morality"

मनुष्य सुख प्राप्ति और दुःखों से निवृत होने के लिए ही कर्म करता है। कभी-कभी अपने सुख के लिए वह दूसरों को कष्ट भी देता है इसलिए यदि मनुष्य का अनियंत्रित कर्म को समाज का टिका रहना दूभर हो जाए। अतः उसके कर्मों पर बाह्य नियंत्रण आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्राचीन काल में ही यूनानियों के बाह्य नियमों को ही अच्छे आचरण अर्थात नैतिकता का मापदंड बतलाया था। अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस मत का समर्थन किया है। उसके अनुसार वर्हिर्गत नियम अथवा किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नियम ही नैतिकता का चरम मापदंड है।

वैसे आदेशों या आदेशों की व्याख्या की व्यवस्था, जो हम किसी बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञाओं द्वारा बाहर से आरोपित किये जाते हैं वर्हिर्गत नियम हैं। एक साधारण उदाहरण, जब किसी व्यक्ति को बाल्यावस्था में अपने माता-पिता द्वारा यह आदेश मिला है कि सवेरे 5 बजे उठना चाहिए और शाम को 6 बजे घूमकर वापस चला आना चाहिए तो यह आदेश वर्हिर्गत है। इसी प्रकार मानव समुदाय के लिए किसी वाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञा से जिन नियमों को उन पर बाहर से आरोपित किया जाता है, वही उनके आचरण का मापदंड है। इनके आदेश हमें लिखित रूप में या भाषणों द्वारा प्रचलित व्यवहारों के रूप में ज्ञात होते हैं। समाज के नियम लिखे हुए नहीं होते वे प्रचलित व्यवहारों के रूप में व्यक्तिगत रहते हैं, पर राज्य के नियम अधिकार लिखित रूप में रहते हैं।

बाह्य नियम ही मानव आचरण के मापदंड हैं।

Scanned by CamScanner

यदि इन नियमों से आचरण की संगति है, तो वे नैतिक उचित है उचित और यदि असंगति है तो अनुचित है।

बाह्य नियमवाद के अनुसार, कोई कर्म स्वयं उचित या अनुचित नहीं होता। इसका औचित्य या अनौचित्य बाह्य नियमों के साथ क्रमशः संगत या असंगत होने पर निर्भर है। बाह्य सत्ता के आदेशों पर ही इनका नैतिक मूल्यांकन निर्भर है। इसप्रकार गुण, शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित, वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये गुण कर्मों में नहीं बल्कि किसी बाह्य सत्ता के आदेश पर निर्भर है।

यहाँ प्रश्न है कि कौनसी बाह्य शक्ति के आदेश नैतिक मापदंड है। इसके संबंध में विचारकों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने समाज को, अन्य राज्य को और कुछ ने ईश्वर को बाह्य शक्ति विचारा है, जिसके आदेश नैतिक मापदंड हैं। अतः नैतिक मापदंड सामाजिक नियम, राजकीय नियम या ईश्वरीय नियम विचारा गया है।

इस सिद्धांत के विरुद्ध निम्नलिखित आक्षेप किये जाते हैं :-

(i) बहिर्गत नियम नैतिकता का चरम मापदंड नहीं है। प्रत्येक नियम किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होता है। अतः नियमों से उच्चतर वह लक्ष्य या साध्य है जिसके लिए नियम बना है। इसलिए बहिर्गत नियमों को भी नैतिकता की कसौटी पर कसा जाता है।

(ii) बाह्य नियमवाद के अनुसार, हम कर्म अपनी इच्छा या संकल्प से नहीं करते बल्कि बाह्य प्रलोभन या दंड के भय के दबाव में आकर करते हैं। इस प्रकार दबाव में आकर किये गये कर्म नैतिकता की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। बाह्य नियमों द्वारा निर्धारित कर्मों को चातुर्य स्वार्थपरता तथा कार्यपटुता के नाम से अभिहित कर सकते हैं। नैतिकता के नाम से नहीं।

(iii) बाह्य नियम चरित्र के स्थान पर पीड़ा का प्रतिपादन

करते हैं। यहाँ दबाव या बल-प्रयोग के आधार पर हम कर्म करते हैं। दंड के भय से किये गये कर्म में नैतिकता का अंश नहीं पाया जा सकता। बाहर से लादा गया कर्म कभी भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। केवल ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय के विषय हैं। बाह्य नियमवाद व्यक्ति की इच्छा या उसके संकल्प के लिए नैतिकता में कोई स्थान नहीं छोड़ता।

(iv) नियम सदैव किसी साध्य की प्राप्ति के साधन रहते हैं। नियम अपने आप में साध्य नहीं कहे जा सकते हैं किन्तु बाह्य नियमवाद बाह्य नियमों को साध्य मान लेता है। इन्हें नियमों को आदर्श मानकर हमारे ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन होता है। वस्तुतः इन नियमों को किसी परम आदर्श रूपी साध्य तक पहुँचाने का साधन मानना चाहिए। नियमों को आदर्श या साध्य मानना भारी भूल है।

(v) बहिर्गत नियम बाह्य सत्ता की मनमानी इच्छा के संकल्प पर निर्भर है अतः यह विवेकपूर्ण नहीं है। कोई भी कर्म इस कारण से उचित या अनुचित है कि कैसी बाह्य सत्ता ने इच्छा की है। इसमें क्यों का विवेकयुक्त उत्तर नहीं है। पर वास्तविक नैतिक मापदंड विवेकयुक्त होना चाहिए यदि मनमाने किसी कर्म को उचित या अनुचित मान लिया जाय तो वैसे सभी व्यक्ति अपनी समझ से नैतिक कर्मों को चालित करते ही हैं। नैतिक नियम शुद्धि सम्मत होना चाहिए।

(vi) कभी-कभी बाह्य नियम परस्पर विरोधी हो जाते हैं ऐसी स्थिति में नियम विशेष को नैतिक मापदंड मानने में कठिनाई हो जाती है।

अतः बाह्य नियमवाद नैतिकता का संतोषप्रद मापदंड निर्धारित नहीं कर पाता।